न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मुकेश बारैठ {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 66/2017

1. जगवीर सिह उर्फ जसवीर सिंह पुत्र राज सिंह उर्फ बलराज सिंह उर्फ नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला तहसील श्रीकरणपुर। --प्रार्थी--

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। --अप्रार्थी--

दावा अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

--निर्णय-- दिनांक : 05.10.2017

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता के नाम चक 30 एफ के मु0न0 2 व 3 मे 0.433 हैक्टर, मु0न0 4 मे 1.644 हैक्टर, मु0न0 5 मे 4.301 हैक्टर, मु0न0 22 मे 2.277 हैक्टर व मु0न0 23 मे 0.738 हेक्टर कुल 9.393 हैक्टर व चक 28 एफ के मु0न0 37 व 39 मे 1.895 हैक्टर नहरी भूमि बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज थी। प्रार्थी के पिता का दिनांक 14.12.2000 को स्वर्गवास हो जाने के पश्चात चक 30 एफ की उक्त भूमि जरिए विरासतन नामांतरण संख्या 255 व चक 28 एफ की उक्त भूमि जरिए विरासतन संख्या 266 प्रार्थी व प्रार्थी के बहने अमनदीप कौर व मनदीप कौर व माता जसविन्द्र कौर के नाज दर्ज हो गई। प्रार्थी के नाम चक 30 एफ के खाता संख्या 12/9 के मु0न0 5, 6 व 57 की कुल 0.569 हैक्टर, खाता संख्या 13/10 के मु0न0 5 व 58/8 के 1.329 हैक्टर, खाता संख्या 23/23 के मु0न0 22 की 1.139 हैक्टर, खाता संख्या 57/46 के मु0न0 4, 5 व 57/9 की कुल 1.233 हैक्टर, खाता संख्या 85/26 के मु0न0 23 की 0.533 हैक्टर, खाता संख्या 77/62 के मु0न0 22 की 0.569 हैक्टर, खाता संख्या 100/81 के मु0न0 2, 3 व 57/10 की कुल 0.332 हैक्टर व चक 28 एफ के खाता संख्या 4/5 के मु0न0 37 व 39 की 1.491 हैक्टर भूमि जरिए विरासतन नामांतरण दिनांक 05.08.2004 से दर्ज है। प्रार्थी की जन्म दिनांक 01.01.1992 है अर्थात विरासतन नामांतरण दर्ज करते समय वादी की आयु महज 12 वर्ष थी। उक्त विरासतन नामांतरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे जसवीर सिंह पुत्र राज सिंह उर्फ बलराज सिंह उर्फ नाजम सिंह अंकित हो गया जबकि वास्तव मे प्रार्थी का नाम जगवीर सिंह पुत्र बलराज सिंह है। प्रार्थी के तमाम दस्तावेज 8 वीं कक्षा की अंकतालिका, मूल निवास, प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, चालक अनुज्ञा पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वारिस तस्दीक प्रमाण पत्र सरपंच पाल सिंह द्वारा जारी आदि मे प्रार्थी का नाम जगवीर सिंह पुत्र बलराज सिंह अंकित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे जसवीर सिंह अंकित होने के कारण प्रार्थी को भारी परेशानियो का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी द्वारा सहखातेदारान के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा गया है। प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज उक्त भूमि मे जसवीर सिंह पुत्र राज सिंह उर्फ बलराज सिंह उर्फ नाजम सिंह के स्थान पर जगवीर सिंह पुत्र राज सिंह उर्फ बलराज सिंह उर्फ नाजम सिंह संशोधित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। पेरोकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया। जवाब स्टेट के अनुसार मद संख्या 1, 2, 3 व 4 स्वीकार है, मद संख्या 5, 6, 7 कानूनी है और मद संख्या 8, 9 स्वीकार है व मद संख्या 10 कानूनी है। इस संबंध मे तहसीलदार श्रीकरणपुर व पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 30 एफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 12/9 के मु0न0 5, 6 व 57 की कुल 0.569 हैक्टर, खाता संख्या 13/10 के मु0न0 5 व 58/8 के 1.329 हैक्टर, खाता संख्या 23/23 के मु0न0 22 की 1.139 हैक्टर, खाता संख्या 57/46 के मु0न0 4, 5 व 57/9 की कुल 1.233 हैक्टर, खाता संख्या 85/26 के मु0न0 23 की 0.533 हैक्टर, खाता संख्या 77/62 के मु0न0 22 की 0.569 हैक्टर, खाता संख्या 100/81 के मु0न0 2, 3 व 57/10 की कुल 0.332 हैक्टर व चक 28 एफ के खाता संख्या 4/5 के मु0न0 37 व 39 की 1.491 हैक्टर भूमि जसवीर सिंह पुत्र राज सिंह उर्फ बलराज सिंह उर्फ नाजम सिंह जाति जटसिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी का नाम जसवीर सिंह के स्थान पर जगवीर सिंह दर्ज किए जाने की अनुशंसा की जाती है। सरपंच ग्राम पंचायत के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार जगवीर सिंह का नाम जमाबंदी मे जसवीर सिंह पुत्र राज सिंह उर्फ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

अनवान प्रकरण जगवीर सिंह बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

प्रकरण संख्या 66/2017

बलराज सिंह उर्फ नाजम सिंह दर्ज है। दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। राजस्व रिकॉर्ड मे जसवीर सिंह का नाम जगवीर सिंह दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्व रिकॉर्ड मे अपना नाम जसवीर सिंह पुत्र राज सिंह उर्फ बलराज सिंह उर्फ नाजम सिंह के स्थान पर संशोधित किया जाकर जगवीर सिंह उर्फ जसवीर सिंह पुत्र राज सिंह उर्फ बलराज सिंह उर्फ नाजम सिंह किये जाने बावत निवेदन किया है। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा सरपंच ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार उक्तानुसार शुद्धि किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर एवं सरपंच ग्राम पंचायत 25 एफ गुलाबेवाला के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 30 एफ की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 12/9 के मु0न0 5, 6 व 57 की कुल 0.569 हैक्टर, खाता संख्या 13/10 के मु0न0 5 व 58/8 के 1.329 हैक्टर, खाता संख्या 23/23 के मु0न0 22 की 1.139 हैक्टर, खाता संख्या 57/46 के मु0न0 4, 5 व 57/9 की कुल 1.233 हैक्टर, खाता संख्या 85/26 के मु0न0 23 की 0.533 हैक्टर, खाता संख्या 77/62 के मु0न0 22 की 0.569 हैक्टर, खाता संख्या 100/81 के मु0न0 2, 3 व 57/10 की कुल 0.332 हैक्टर व चक 28 एफ के खाता संख्या 4/5 के मु0न0 37 व 39 की 1.491 हैक्टर नहरी भूमि मे अंकित नाम जसवीर सिंह पुत्र राज सिंह उर्फ बलराज सिंह उर्फ नाजम सिंह के स्थान पर जगवीर सिंह पुत्र राज सिंह उर्फ बलराज सिंह उर्फ नाजम सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावे। इन सभी खातो के शेष अंकन बदस्तूर रहेगे एवं रहन बदस्तूर रहेगा। आदेश इसी आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। आदेश की एक प्रति शाखा प्रबंधक एस बी आई बैंक 25 एफ गुलाबेवाला को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 5.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) — सत्यमेव जयते)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner